आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतू समिति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

नई दिल्ली

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश प्रकाशक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम- इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा, पुनरुत्पादित, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन का मूल मसौदा सीए संजय कुमार अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया था।

प्रथम संस्करण	:	जुलाई, 2025
समिति/विभाग	:	सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतू समिति
ई- मेल	:	cacaf@icai.in
वेबसाइट	:	www.icai.org
मूल्य	:	₹/-
आईएसबीएन	:	978-93-48313-22-5
प्रकाशक	:	प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय की ओर सेभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आईसीएआई भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 7100, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110 002 (भारत)
मुद्रक	:	निर्धारित किया जाएगा

आईसीएआई के प्रेसिडेंट का संदेश

चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन ने सत्यनिष्ठा, स्वतंत्रता तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को निरंतर विकसित किया है। जैसे-जैसे व्यावसायिक गतिविधियाँ अधिक जटिल और परस्पर संबद्ध होती जा रही हैं, वैसे-वैसे ऐसे व्यावसायिक संस्थानों की आवश्यकता बढ़ रही है, जिनके पास विविध हितधारकों को प्रभावी रूप से सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षमता, विशेषज्ञता तथा सुदृढ़ता हो।

इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 एक सक्षमकारी रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से एलएलपी एक साथ आकर अपनी व्यावसायिक पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अपनी सामूहिक क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। यह रूपरेखा सहयोग को प्रोत्साहित करने, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने तथा सीए फर्मों के दीर्घकालिक विकास को सुगम बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

इन दिशानिर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज़) रूपरेखा के विभिन्न प्रावधानों तथा व्यावहारिक पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। इन **अक्सर** पूछे जाने वाले प्रश्नों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्धता इनके प्रसार को और अधिक व्यापक बनाएगी तथा सदस्यता के एक बड़े वर्ग को इस बहुमूल्य मार्गदर्शन से लाभान्वित होने में सक्षम बनाएगी।

मैं सीए. सतीश कुमार गुप्ता, चेयरमैन तथा सीए. संजय कुमार अग्रवाल, वाइस-चेयरमैन, सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति, के साथ-साथ समिति के सभी सदस्यों को इस प्रकाशन को तैयार करने के लिए किए गए उनके प्रयासों हेतु बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन सदस्यों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन सिद्ध होगा तथा दिशानिर्देशों और सीए फर्मों की वृद्धि एवं विकास के लिए इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों को बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सीए. प्रसन्ना कुमार डी

प्रेसिडेंट, आईसीएआई

आईसीएआई के वाइस-प्रेसिडेंट का संदेश

ज्ञान वास्तव में तभी मूल्यवान बनता है, जब उसे सहजता से समझा जा सके और आत्मविश्वास के साथ व्यवहार में लागू किया जा सके। जैसे-जैसे प्रोफेशन नए अवसरों और व्यावसायिक अभ्यास के उभरते प्रतिमानों को अपना रहा है, यह आवश्यक है कि सदस्यों को ऐसा व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध हो, जो उन्हें इन रूपरेखाओं को प्रभावी ढंग से समझने और कार्यान्वित करने में सक्षम बनाए।

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 एक अभिनव रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो एलएलपी को अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हुए सहयोग करने, अपनी सामूहिक क्षमताओं का लाभ उठाने तथा बड़े व्यावसायिक मंचों का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न व्यावहारिक मुद्दों का समाधान करने तथा इस रूपरेखा के विभिन्न पहलुओं पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशन एक सराहनीय पहल है, जो इस बहुमूल्य संसाधन को देशभर के सदस्यों के लिए अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं में व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर समिति ने जागरूकता बढ़ाने, बेहतर समझ को सुगम बनाने तथा इस रूपरेखा को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मैं इस विचारशील पहल के लिए सीए. सतीश कुमार गुप्ता, चेयरमैन, सीए. संजय कुमार अग्रवाल, वाइस-चेयरमैन, तथा सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति के सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना करता हूँ। मैं इस पहल की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह दिशानिर्देशों के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों को समझने और उनका लाभ उठाने के इच्छुक सदस्यों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा।

सीए. मंगेश किनारे

वाइस-प्रेसिडेंट, आईसीएआई

एसीएएफसी के चेयरमैन का संदेश

सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक ऐसे सहयोगात्मक प्रतिमानों को प्रोत्साहित करना है, जो सनदी लेखाकार फर्मों को अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने, अपने प्रसार का विस्तार करने तथा टिकाऊ व्यावसायिक संस्थानों का निर्माण करने में सक्षम बनाते हैं। समिति का दृढ़ विश्वास है कि सहयोग तथा सामूहिक विकास, प्रोफेशन के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। इसी दृष्टि के साथ **आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024** प्रस्तुत किए गए। ये दिशानिर्देश एलएलपी को एक साथ आने, अपनी सामूहिक शक्तियों का उपयोग करने तथा ऐसी व्यवस्था के माध्यम से कार्य करने के लिए एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो साझा प्रशासन, व्यावसायिक समन्वय तथा दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करती है। यह रूपरेखा फर्मों के मध्य अधिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, साथ ही उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखती है।

सदस्यों को दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समिति ने इन दिशानिर्देशों पर आधारित **अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों** का एक प्रकाशन जारी किया था। इस मार्गदर्शन को सदस्यता के व्यापक वर्ग तक पहुँचाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने अब इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने का कार्य किया है।

सदस्यों के लिए तकनीकी अवधारणाओं को समझना प्रायः अधिक सरल हो जाता है, जब उन्हें ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे परिचित हों। इसलिए आशा है कि ये क्षेत्रीय भाषा संस्करण सदस्यों को दिशानिर्देशों के उद्देश्य तथा उनके व्यावहारिक पहलुओं को अधिक स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ समझने में सहायता करेंगे।

मैं आईसीएआई के प्रेसिडेंट, सीए. प्रसन्ना कुमार डी तथा वाइस-प्रेसिडेंट, सीए. मंगेश पी. किनारे द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के प्रति अपनी हार्दिक सराहना अभिलेखित करता हूँ। साथ ही, मैं समिति के सभी सदस्यों तथा इस प्रकाशन को साकार करने में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के बहुमूल्य योगदान के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पहल जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करेगी तथा

देशभर में अधिक सशक्त, टिकाऊ एवं भविष्य के लिए तैयार सीए फर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

सीए. सतीश कुमार गुप्ता
चेयरमैन
सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति

एसीएएफसी के वाइस-चेयरमैन का संदेश

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024, सनदी लेखाकार फर्मों के मध्य सहयोगात्मक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में आईसीएआई के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। यह रूपरेखा एलएलपी को अपनी सामूहिक क्षमताओं का लाभ उठाने, संसाधनों को साझा करने तथा व्यावसायिक विकास एवं संस्थागत उन्नति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है।

इसी उद्देश्य से इन दिशानिर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए गए हैं, ताकि सदस्यों की सामान्य जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके तथा पात्रता, प्रशासन, पद्धति एवं परिचालन संबंधी विषयों पर अधिक स्पष्टता प्रदान की जा सके।

इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के प्रसार को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से समिति ने इन एफएक्यूज़ का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य इन दिशानिर्देशों को अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकें तथा उन्हें भली-भाँति समझकर उनका प्रभावी उपयोग कर सकें।

मैं समिति की पहलों को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आईसीएआई के प्रेसिडेंट सीए. प्रसन्ना कुमार डी. तथा वाइस-प्रेसिडेंट सीए. मंगेश पी. किनारे के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समिति के उन सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रकाशन सदस्यों के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री सिद्ध होगा तथा आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 की व्यापक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सीए. संजय कुमार अग्रवाल

वाइस-चेयरमैन

सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति

प्रस्तावना

आज के तेज़ी से बदलते पेशेवर परिदृश्य में, यह आवश्यक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और उनकी फर्में नई चुनौतियों एवं अवसरों का सामना करने के लिए सक्रिय रूप से अनुकूलन करें। सेवाओं के वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बढ़ती नियामक मांगों ने पेशे से संबंधित अपेक्षाओं को नया आकार दिया है। इस विकसित होते माहौल के उत्तर में, आईसीएआई की सीए फर्मों के एकत्रीकरण की समिति (सीएसीएएफ) ने सीए फर्मों, विशेष रूप से एलएलपी के रूप में संरचित फर्मों के सहयोग, विकास और अपनी सेवा वितरण को बढ़ाने के तरीके पर पुनर्विचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 को एलएलपी के आसान एकत्रीकरण हेतु बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया है। ये दिशानिर्देश उन्हें एक ही इकाई के रूप में कार्य करने में मदद करती हैं, साथ ही उनकी घटक फर्मों की स्वतंत्रता और पेशेवर ईमानदारी को भी बनाए रखती हैं। इन दिशानिर्देशों में साझा गवर्नेंस, संसाधनों का साझाकरण और एक जैसी गुणवत्ता नियंत्रण रूपरेखा का पालन करने पर ज़ोर दिया गया है ताकि पेशेवर सेवा प्रदान करने में एकरूपता बनी रहे। इस पहल से न केवल सीए फर्में अपने कार्यकाज़ का दायरा बढ़ा सकती हैं बल्कि वे अलग- अलग इलाकों में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए भी तैयार हो सकती हैं।

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 पर ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रस्तुत करते हुए, हमारा उद्देश्य हितधारकों के सामान्य प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देना और जानकारी उपलब्ध कराना है। इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य फर्मों को दिशानिर्देश की बारीकियों, व्यावहारिक प्रभाव और उनके पीछे के नियामक उद्देश्य को अच्छी तरह से समझने में मदद करना है। इनमें मूल और भागीदार

एलएलपी की भूमिकाएं, एकत्रीकरण का प्रक्रियात्मक ढांचा और इससे जुड़ी ऑपरेशनल बातें भी शामिल हैं।

मैं सीएससीएएफ के चेयरमैन सीए संजय कुमार अग्रवाल और वाइस-चेयरमैन सीए बाबू अब्राहम कल्लिवयालिल का उनकी दूरदर्शिता एवं मार्गदर्शन के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पहल में अपने विचारपूर्ण योगदान के लिए सीएसीएएफ के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रकाशन उन फर्मों के लिए व्यावहारिक रोडमैप का कार्य करेगा जो एकसाथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती हैं, बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं और इस पेशे की बदलती उम्मीदों में सार्थक योगदान देना चाहती हैं।

सीए चरणजोत सिंह नंदा
प्रेजिडेंट, आईसीएआई

वाइस प्रेज़ीडेन्ट का संदेश

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 पर प्रकाशन संस्थान की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसके अंतर्गत वह फर्मों की ऐसी रूप रेखा उपलब्ध करता है जो विचार में प्रगतिशील और कार्यान्वयन में व्यावहारिक हों।

आज के दौर में जहां नियामक जटिलताएं बढ़ रही हैं, ग्राहक की उम्मीदें अधिक हैं और कई प्रकार की सेवाएं देने की आवश्यकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऐसे तरीके मिलने चाहिए जिनसे वे अपनी पेशेवर स्वतंत्रता से समझौता किए बिना मिलकर कार्य कर सकें। आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 एलएलपी- संरचना वाली सीए फर्मों को अपने संसाधनों को एक साथ लाने, कार्यकाज में तालमेल बिठाने और एक साथ मिलकर भी स्वतंत्र इकाईयों के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

यह प्रकाशन, जिसमें अच्छी तरह से तैयार किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं, एकत्रीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और इस मार्ग पर विचार कर रही फर्मों को आवश्यक स्पष्टता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। मुझे यह देखकर विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है कि व्यावहारिक स्वतंत्रता, साझा गवर्नेंस और गुणवत्ता नियंत्रण पर ज़ोर दिया गया है जो एकत्रीकरण संरचना में विश्वास और एकरूपता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मैं सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतू समिति के चेयरमैन सीए संजय कुमार अग्रवाल; सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतू समिति के वाइस-चेयरमैन सीए बाबू अब्राहम कल्लिवयालिल और समिति के अन्य सदस्यों को इस रूपरेखा को तैयार करने में उनकी दूरदर्शिता के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, इस विचार को व्यावहारिक संसाधन का रूप देने में कड़ी मेहनत करने वाली पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास

है कि यह प्रकाशन उन सीए फर्मों के लिए उपयोगी गाइड साबित होगा जो मिलकर आगे बढ़ना चाहती हैं और पेशे व अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी योगदान देना चाहती हैं।

नई दिल्ली
जुलाई 2025

सीए प्रसन्ना कुमार डी
वाइस प्रेज़ीडेन्ट, आईसीएआई

प्रस्तावना

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) को लगातार बदलते और जटिल होते वैश्विक माहौल में सफल होने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेशेवर प्रैक्टिस के बदलते स्वरूप और सीए फर्मों की क्षमता एवं पहुँच बढ़ाने की बढ़ती आवश्यकताओं को समझते हुए, आईसीएआई ने हमेशा संवहनीय विकास और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की सोच वाली पहलों की शुरुआत की है।

इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आईसीएआई ने अपनी सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए समिति (सीएसीएएफ) के माध्यम से आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश एलएलपी के रूप में पंजीकृत सीए फर्मों के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं जिससे वे अपनी शक्ति को एक साथ ला सकें, अपने मिले-जुले संसाधनों का प्रयोग कर सकें और भारत में अलग-अलग स्थानों पर अपनी सेवा वितरण को बेहतर बना सकें। इसका उद्देश्य एक ठोस और एकजुट संरचना तैयार करना है जो अधिक सहयोगी, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा दे, जिससे अंततः ग्राहक और बड़ी अर्थव्यवस्था को लाभ हो।

इन दिशानिर्देशों की बारीकियों को समझने में हितधारकों की मदद के लिए, हमने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की सूची तैयार की है। ये एफएक्यू दिशानिर्देश के अलग- अलग पहलुओं से संबंधित हैं और इसमें शामिल प्रक्रिया, पात्रता, कसौटी, अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं और आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 को वास्तव में लागू करने के बारे में स्पष्ट जानकारी और दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

इस प्रकाशन को तैयार करने में अपनी अटूट प्रतिबद्धता और बेहतरीन योगदान के लिए हम समिति के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हितधारकों और कार्य कर रहे पेशेवरों द्वारा साझा किए गए अलग- अलग नज़रियों ने इन दिशानिर्देशों की व्यावहारिक उपयोगिता, स्पष्टता और गहराई को बहुत बढ़ाया है। हम इस पहल को सफल बनाने में सहयोग के लिए सीएसीएएफ की सचिव सुश्री पारुल गोयल; सुश्री पूर्णिमा शर्मा और पूरी टीम के प्रयासों की भी सराहना करते हैं जिन्होंने इस पहल में सहयोग दिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये एफएक्यू देश भर की सीए फर्मों के लिए एक विश्वसनीय और व्यावहारिक संसाधन साबित होंगे जिससे वे स्पष्टता, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ एकत्रीकरण रूपरेखा से जुड़ सकेंगे।

सीए संजय कुमार अग्रवाल
चेयरमैन , सीएसीएएफ

सीए बाबू अब्राहम कल्लिवयालिल
वाइस-चेयरमैन , सीएसीएएफ

जुलाई, 2025

नई दिल्ली

अस्वीकरण

यह प्रकाशन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मूल अंग्रेज़ी प्रकाशन का अनुवादित संस्करण है और इसे केवल सदस्यों के बीच व्यापक प्रसार तथा समझने में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यद्यपि अनुवाद की सटीकता, पूर्णता और मूल पाठ के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उचित प्रयास किया गया है,अनजाने में हुई त्रुटियों, चूक अथवा भाषाई भिन्नताओं की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यदि इस अनुवादित संस्करण और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मूल अंग्रेज़ी प्रकाशन के बीच कोई असंगति, अस्पष्टता, विरोधाभास या अंतर पाया जाता है, तो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मूल अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।

इस प्रकाशन का मूल अंग्रेज़ी संस्करण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://resource.cdn.icai.org/87331cacaf67953-faq.pdf

यहाँ दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 15(2)(च) के अंतर्गत जारी आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 के संबंध में स्पष्टता और समझ प्रदान करना है। उक्त अधिनियम में सनदी लेखाकार, लागत एवं कार्य लेखाकार तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 12) द्वारा संशोधन किया गया है। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले अद्यतनों और संशोधनों के अधीन हैं, जो विनियामक आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तनों अथवा संस्थान द्वारा की जाने वाली व्याख्याओं को प्रतिबिंबित करते हैं। कृपया ध्यान दें कि यद्यपि हम प्रस्तुत जानकारी की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संपूर्ण नहीं हैं और इन्हें विधिक परामर्श या विधिक राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का परामर्श लें।

इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दी गई जानकारी प्रकाशन के समय प्रचलित दिशा-निर्देशों और प्रथाओं पर आधारित है, जैसा कि उस समय समझा गया था।

अंतर्वस्तु

अध्याय 1: पात्रता 1

अध्याय 2: नामकरण, पंजीकरण, पुनर्गठन और भागीदारी से हटना/खत्म करना 5

अध्याय 3: प्रैक्टिस 8

अध्याय 4: विविध 14

अध्याय 1

पात्रता

प्र1. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत नई एलएलपी का सृजन करने अथवा किसी विद्यमान एलएलपी में भागीदार के रूप में सम्मिलित होने के लिए कौन पात्र है?

कोई भी फुल-टाइम प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) जिसमें 50% से अधिक भागीदार आईसीएआई में पंजीकृत प्रैक्टिस करने वाले अभ्यासकर्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, एक नई एलएलपी का सृजन कर सकते हैं या भागीदार के रूप में किसी वर्तमान एलएलपी में सम्मिलित हो सकते हैं। बशर्ते एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के अनुसार, किसी भी समय व्यष्टिक फुलटाइम प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकारों की संख्या दो से कम नहीं होनी चाहिए। यही नियम मूल/ भागीदार एलएलपी, दोनों पर लागू होगा।

प्र2. किस एलएलपी को मूल एलएलपी कहा जाएगा?

इन दिशानिर्देशों के अनुसार मूल एलएलपी का अर्थ ऐसी एलएलपी से है जिसके 50% से अधिक भागीदार व्यष्टिक प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट हैं और जो आईसीएआई के साथ रजिस्टर्ड किसी दूसरे एलएलपी को अपनी एलएलपी का हिस्सा बना रही हैं।

प्र3. बहुमत का पता कैसे लगाया जाता है?

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्रता निर्धारित करने के लिए बहुमत या 50% से अधिक का मानदंड, एलएलपी में भागीदारों की संख्या और उनके कुल लाभांश, दोनों के आधार पर किया जाएगा। बहुमत का यह मानदंड मूल एवं भागीदार, दोनों के लिए लागू होता है।

प्र4. क्या दो भागीदार वाली एसी एलएलपी आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 के तहत योग्य है, जिसमें एक भागीदार फुल-टाइम प्रैक्टिस करता है और दूसरा पार्ट-टाइम प्रैक्टिस करता है?

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 के तहत, एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 7 का पालन करते हुए, किसी भी एलएलपी में हर समय कम- से- कम दो व्यक्तिगत फुल-टाइम प्रैक्टिस करने वाले सीए होने चाहिए। यह नियम मूल/ भागीदार एलएलपी दोनों पर लागू होता है।

इसके अलावा, इस शर्त को भी पूरा करना होगा कि 50% से अधिक भागीदार आईसीएआई के साथ पंजीकृत फुल- टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हों।

प्र5. ऐसी सीए कंपनी वाले एलएलपी में शेष 49% का भागीदार कौन है?

वर्तमान में, ऐसी सीए कंपनी वाले एलएलपी में शेष 49% आईसीएआई के साथ पंजीकृत अभ्यासकर्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन दिशानिर्देशों में भविष्य के लिए बहुविषयक भागीदारी बहुविषयक भागीदारी की संरचना को भी शामिल किया गया है ताकि जब भी इन्हें लागू किया जाए तो इनका आईसीएआई के साथ पंजीकृत हो सकें।

प्र6. हम ABC & LLP हैं, क्या हम अलग- अलग कार्यों के लिए एक ही समय में एक से अधिक एलएलपी के साथ भागीदारी (चाहे मूल के रूप में या भागीदार के रूप में) कर सकते हैं?

नहीं, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक भागीदार एलएलपी केवल एक ही मूल एलएलपी की भागीदार बन सकती है और एक मूल एलएलपी किसी भी समय किसी दूसरी एलएलपी की भागीदार नहीं बन सकती।

प्र7. भागीदारों की संख्या और उनके लाभांश, दोनों ही मामलों में बहुमत की संख्या में सीए होने की शर्त का क्या उद्देश्य है?

भागीदारों की संख्या और उनके लाभांश, दोनों ही मामलों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बहुमत होने की शर्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अनुरूप है। इस धारा के अनुसार-

"धारा 141(1): कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लेखाकार के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो:

बशर्ते, कोई ऐसी फर्म (कंपनी), जिसके भारत में प्रैक्टिस करने वाले अधिकांश भागीदार ऊपर बताए गए तरीके से नियुक्ति के लिए योग्य हों, उसे फर्म के नाम से किसी कंपनी का लेखाकार नियुक्त किया जा सकता है।

(2): जब किसी कंपनी के लेखाकार के रूप में किसी कंपनी (जिसमें सीमित देयता साझेदारी भी शामिल है) को नियुक्त किया जाता है तो केवल वे भागीदार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी की ओर से कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।

तदनुसार, ऐसी बहुविषयक भागीदारी जिसमें अधिकांश भागीदार सीए नहीं है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक लेखापरीक्षा के योग्य नहीं है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त एमडीपी में सीए भागीदारों की संख्या और लाभ में हिस्सेदारी, दोनों ही मामलों में बहुमत होना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एमडीपी सीए फर्मों (जो प्रैक्टिस कर रही हैं) को वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए 'बहुमत का मानदंड' भागीदार की संख्या और एमडीपी सीए कंपनी में उनके लाभांश, दोनों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ताकि बहुमत का मानदंड स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके। साथ ही, यह ध्यान रखना

ज़रूरी है कि एलएलपी के भागीदार का दायित्व सीमित होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुतम के लिए ऊपर बताई गई शर्त लागू होगी।

प्र8. दिशानिर्देश में एलएलपी में किसी भी समय कम- से- कम दो व्यष्टिकप्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने की शर्त क्यों रखी गई है?

एलएलपी में कम- से- कम दो प्रौक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होना, एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 7(1) का पालन करने के लिए आवश्यक है।

प्र9. क्या इन दिशानिर्देश के तहत बिना सीओपी वाला आईसीएआई का कोई सदस्य एलएलपी में भागीदार बन सकता है?

नहीं, सीओपी के बिना आईसीएआई का कोई सदस्य सीए कंपनी एलएलपी में भागीदार नहीं बन सकता। अभी, ऐसी सीए कंपनी एलएलपी में बाकी 49% भागीदार आईसीएआई के साथ पंजीकृत प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। इन दिशानिर्देशों में भविष्य के लिए मल्टी- डिसिप्लिनरी भागीदार की संरचना को भी शामिल किया गया है ताकि जब ये लागू किए जाएं तो उन्हें आईसीएआई के साथ पंजीकृत किया जा सके।

अध्याय 2

नामकरण, पंजीकरण, पुनर्गठन और भागीदारी से हटना/खत्म करना

प्र10. नए एलएलपी का नाम कैसे रखा जाना चाहिए? क्या इसमें एकत्रीकरण (एग्रीगेशन), गठबंधन (अलायंस), संबंधन (एफिलिएशन) जैसे कोई प्रत्यय लगाए जाएंगे?

इन दिशानिर्देशों के तहत, एलएलपी के नामों को मंजूरी देने का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के नियम 190, सीए फर्मों को एलएलपी में बदलने के लिए परिषद के 2024 के दिशानिर्देशों, इस विषय पर समय-समय पर जारी एमसीए परिपत्र, एलएलपी अधिनियम, 2008 के लागू प्रावधानों और आरओसी द्वारा समय-समय पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

प्र11. इन दिशानिर्देशों के तहत एलएलपी का पंजीकरण कैसे होता है?

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, एलएलपी को संस्थान में पंजीकरण कराना होगा। सभी भागीदारएलएलपी का विवरण अभिलेखों में दर्ज ककया जाएगा ताकि उनकी संयुक्त क्षमता और भौगोलिक उपस्थिति आदि को दर्शाया जा सके। साथ ही, किसी भी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एलएलपी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उन्हें फर्म पंजीकरण संख्या निर्दिष्ट की जाए। इसके अलावा, एलएलपी को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

प्र12. पुनर्गठन की स्थिति में क्या होता है?

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनर्गठन को आईसीएआई और अन्य नियामक निकायों में पंजीकरण कराना आवश्यक है।

प्र13. एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत एलएलपी के भागीदारों में परिवर्तन का उसके अस्तित्व, अधिकारों या देयताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?

एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 3(3) के अनुसार सीमित देयता भागीदारी के भागीदारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीमित देयता की भागीदारी के अस्तित्व, अधिकारों या देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्र14. क्या भागीदार एलएलपी के पुनर्गठन का प्रभाव मूल एलएलपी के तहत पुनर्गठन से पहले प्राप्त किए गए कार्य पर पड़ेगा?

नहीं, दिशानिर्देश की उप-धारा 9(3) के अनुसार, पुनर्गठन से मूल एलएलपी की बाकी भागीदार एलएलपी को उन कामों को जारी रखने से नहीं रोका जाएगा जो उन्होंने मूल एलएलपी के माध्यम से पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

प्र15. आईसीएएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 से बाहर निकलने के लिए मूल फर्म की प्रक्रिया क्या है?

मूल एलएलपी से भागीदार एलएलपी के रूप में बाहर निकलने या एलएलपी को समाप्त करने के लिए आईसीएआई के लागू नियमों, एलएलपी अधिनियम, 2008, कंपनी रजिस्ट्रार की प्रक्रियाओं आदि का पालन करना होगा। इसके अलावा, बाहर निकलने पर मूल या भागीदार फर्म को आईसीएआई को सूचित करना होगा और एसएसपी पर अपडेट दिखाने के लिए ज़रूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

प्र16. अगर कोई मूल एलएलपी अपना कारोबार बंद करने का निर्णय करती है तो क्या उसके लिए पहले एलएलपी एकत्रीकरण मॉडल से बाहर निकलना ज़रूरी है?

हाँ, मूल एलएलपी के लिए अपना कारोबार बंद करने से पहले उन दिशानिर्देशों से बाहर निकलना आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसे बाहर निकलने या बिज़नेस बंद करने की जानकारी उस मूल या भागीदार फर्म को देनी होगी।

प्र17. अगर मूल एलएलपी, एलएलपी एकत्रीकरण मॉडल के बाहर नकलती है तो क्या कोई भागीदार एलएलपी मूल एलएलपी की जगह ले सकती है और मौजूदा एकत्रीकरण संरचना को जारी रख सकती है या पूरी एकत्रीकरण संरचना ही समाप्त हो जाएगी?

यदि मूल एलएलपी, आईसीएआई (एलएलपी काएकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 से बाहर निकलती है तो बाकी भागीदार और एलएलपी भागीदार मिलकर वर्तमान भागीदार एलएलपी में से किसी एक को नई मूल एलएलपी बनाने का निर्णय कर सकते हैं। इसके बाद, चुनी गई भागीदार एलएलपी को मूल एलएलपी की भूमिका संभालने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का पालन करना होगा। नई संरचना को दिखाने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं एवं दस्तावेज़ आईसीएआई और अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरणों के पास जमा करने होंगे। यदि कोई नई मूल एलएलपी निर्धारित नहीं की जाती है तो एकत्रीकरण को समाप्त किया जा सकता है।

अध्याय 3
प्रैक्टिस

प्र18. क्या मूल एलएलपी द्वारा प्रबंधन बोर्ड का गठन करना आवश्यक है। प्रबंधन बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा?

जी हाँ, प्रबंधन बोर्ड का गठन अनिवार्य है। प्रबंधन बोर्ड का गठन मूल एलएलपी द्वारा किया जाएगा और इसमें इन दिशानिर्देशों के तहत साझेदार एलएलपी से अधिकृत प्रबंधन साझेदार शामिल होने चाहिए।

प्र19. इन दिशानिर्देशों के तहत बनाए गए प्रबंधन बोर्ड की क्या भूमिका है?

दिए गए दिशानिर्देशों के उपनियम 7(3) के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें भागीदार एलएलपी के अधिकृत प्रबंधन भागीदार शामिल होंगे जो निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करेंगे-

(क) विनियामक और विधिक अनुपालन,

(ख) फर्म के कार्यों का प्रबंध,

(ग) बिजनेस स्ट्रेटजी, वित्तीय प्रबंधन, लाभ का विनियोग, लागत को साझा करना, कर्मचारियों का नियोजन करना, जोखिम प्रबंधन, अवसंरचना का विस्तार आदि समेत नीतिगत निर्णय लेना किन्तु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं,

(घ) आईसीएआई के एसएसपी पोर्टल पर पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से होगी,

(ङ) फर्म (फर्मों)/प्रैक्टिस से जुड़े सभी दस्तावेज़, जैसे साझेदारी विलेख, साझीदारों के इस्तीफे या जुड़ने से संबंधी दस्तावेज,

अहर्ता प्राप्त सहायकों की नियुक्ति एवं कार्यमुक्ति से संबंधित दस्तावेज़, कंपनी के गठन या पुनर्गठन हेतु दिए गए अनुमोदन के संबंध में कागजात व विवरण, आदि। आईसीएआई किसी विवाद, जांच या पुष्टि के लिए समय-समय पर इनकी मांग कर सकता है,

(च) वर्तमान भागीदार एलएलपी को स्पष्ट रूप से बताएं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के तहत लेखापरीक्षा या गैर- लेखापरीक्षा कार्यों पर क्या पाबंदियां हो सकती हैं या आचार-संहिता, नैतिकता या एलएलपी कंपनी पर लागू किसी भी कानून से जुड़ी कोई समस्या क्या हो सकती हैं,

(छ) मूल एलएलपी, भागीदार एलएलपी और एलएलपी में व्यष्टियों के बीच मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करना और युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर परस्पर रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने का प्रयास करना, और यदि विवादों का समाधान नहीं हो सका है तो वह मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाया जाएगा या ऐसे विवादों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, के अनुसार मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा,

(ज) मूल एलएलपी या भागीदार एलएलपी की पैनलबद्ध या निविदा संबंधी प्रक्रियाओं में भागीदारी करने के संबंध में निर्णय लेना,

(झ) मूल एलएलपी के बागूदार, भागीदार एलएलपी के भागीदारों और एलएलपी के व्यष्टिक भागीदारों को शामिल करने या उन्हें निलंबित करने के लिए तंत्र का पुनर्गठन करने हेतु अधिकथन स्पष्ट करना,

(ज) साख, खातों के निपटान और पुनर्गठन या विघटन के मामले में ग्राहकों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना, और

(ट) या कोई अन्य मामला जिसके संबंध में उनके बीच परस्पर सहमति हो।

प्र20. क्या इन दिशानिर्देशों में लिखित विलेख का निष्पादन करने की कोई आवश्यकता निर्दिष्ट की गई है?

हाँ, इन दिशानिर्देशों के तहत सभी फर्मों और उनके भागीदारों को लिखित उपविधियाँ/करार करना होगा। लिखित विलेख में निर्दिष्ट शर्तें जिन पर सभी भागीदार सहमत होंगे, वे समय- समय पर सीए अधिनियम, 1949, एलएलपी अधिनियम, 2008, सीए विनियमन, 1988 आईसीएआई आचार संहिता और परिषद के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार होंगी।

प्र21. क्या इन दिशानिर्देशों के तहत एलएलपी के लिए लेखापरीक्षा प्रैक्टिस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है?

हाँ, इन दिशानिर्देशों के तहत मूल एलएलपी और भागीदार एलएलपी के बीच और साथ ही पार्टनर एलएलपी के आपस में भी लेखापरीक्षा एवं संयुक्त लेखापरीक्षा के नियमित आवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

प्र22. क्या इन दिशानिर्देशों के तहत मूल एलएलपी या भागीदार एलएलपी एक ही समय में एक साथ पैनलबद्ध हो सकते हैं या निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं?

इन दिशानिर्देशों के तहत, भागीदार एलएलपी के अधिकृत प्रबंधन भागीदार से बना प्रबंधन बोर्ड यह निर्धारित करेगी कि मूल एलएलपी या भागीदार एलएलपी पैनलबद्ध या निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी या नहीं। इसके अलावा, पैनलबद्ध और निविदा प्रक्रिया संबंधित विनियामक के नियमों के अनुसार होते हैं।

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र23. यदि एलएलपी किसी मूल एलएलपी से जुड़ने और उससे अलग होने के लिए स्वतंत्र है तो उनके पैनलबद्ध किए जाने को एक्सक्लूसिव एसोसिएशन (विशेष जुड़ाव) कैसे माना जाएगा?

पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया, संबंधित पैनलबद्ध विनियामकों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार संचालित होती है। इस विशेष जुड़ाव का मूल्यांकन आमतौर पर कंपनी के निर्धारित डेटा की वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाता है।

प्र24. क्या एलएलपी के भागीदार के तौर पर जुड़ी एलएलपी (यानी भागीदार एलएलपी) स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर सकती हैं?

इन दिशानिर्देशों के तहत, मूल एलएलपी के साथ भागीदार के रूप में जुड़ी एलएलपी (यानी भागीदार एलएलपी) लिखित अनुबंध से बंधी होती हैं और लिखित विलेख की शर्तों के अधीन रहते हुए, स्वतंत्र एलएलपी के रूप में भी कार्य कर सकती हैं।

प्र25. दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और 144 के तहत लगाई गई पाबंदियों से कैसे निपटती हैं?

इन दिशानिर्देशों के तहत, प्रबंधन बोर्ड को एलएलपी में शामिल होने वाले भागीदार को शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144, आचार संहिता या एलएलपी फर्म पर लागू किसी भी कानून के कारण लेखापरीक्षा या गैर- लेखापरीक्षा कार्यों पर क्या पाबंदियां लग सकती हैं।

प्र26. क्या अलग- अलग भागीदार अपने नाम से पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन कर सकते हैं?

इन दिशानिर्देशों के तहत, अलग- अलग भागीदार अपने नाम से पैनलबद्ध होने के लिए अलग से आवेदन नहीं कर सकते।

पैनलबद्ध होने या निविदा प्रक्रिया में शामिल होने का फैसला प्रबंधन बोर्ड करेगा। इस बोर्ड का गठन मूल एलएलपी करेगी और इसमें भागीदार एलएलपी के अधिकृत प्रबंधन भागीदार शामिल होंगे। यह बोर्ड सभी भागीदार की सहमति से बने लिखित विलेख में बताए गए अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।

प्र27. एलएलपी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 और आईसीएआई के आचार संहिता के तहत संभावित टकराव या प्रतिबंधित सेवाओं की पहचान कैसे करनी चाहिए?

एलएलपी को नए ग्राहक या कार्य शुरू करते समय हितों के टकराव की जांच कर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 और आईसीएआई की आचार संहिता के तहत संभावित टकराव या प्रतिबंधित सेवाओं की पहचान करनी चाहिए।

इन जांचों के साथ-साथ नियमित आंतरिक समीक्षा भी होनी चाहिए ताकि किसी भी उभरती हुई समस्या का पता लगाया जा सके। प्रबंधन बोर्ड को इन मूल्यांकनों की देख-रेख करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लगातार निगरानी एवं मज़बूत आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से कानूनी और नैतिक मानकों क पालन होता रहे।

प्र28. जब मूल एलएलपी के नाम पर कोई कार्य लिया जाता है, तो चूक या डिफॉल्ट होने की स्थिति में दायित्व कैसे तय किया जाता है?

जबकार्य मूल एलएलपी के नाम पर लिया जाता है तो उस कार्य से जुड़ा कोई भी दायित्व मुख्य रूप से मूल एलएलपी का होता है। हालाँकि, इस दायित्व को उन भागीदारों के बीच आनुपातिक रूप से बांटा जा सकता है जो इस कार्य में अकेले या संयुक्त रूप से शामिल हों। स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन बोर्ड को कार्य का स्पष्ट बंटवारा एवं दायित्वों का विस्तृत चार्ट बनाया जाना चाहिए। एलएलपी के तहत किए जाने वाले

प्रत्येक कार्य के लिए इसके दस्तावेज़ सही तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि दायित्वों का उचित बंटवारा हो सके और देयताओं का प्रबंधन सरलता से हो सके।

प्र29. भागीदार एलएलपी द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर मूल एलएलपी का कितना अधिकार होता है?

एकत्रीकरण संरचना के तहत किए जाने वाले सभी कार्य, जैसे अश्योरेंस, नॉन-अश्योरेंस,, लेखापरीक्षा और दूसरे कार्यों, पर मूल एलएलपी के प्रबंधन बोर्ड का अधिकार चलता है। मूल एलएलपी के प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले इस रूपरेखा के तहत कार्य करने वाली सभी भागीदार एलएलपी पर लागू होते हैं। हालाँकि, एकत्रीकरण संरचना के बाहर भागीदार एलएलपी द्वारा स्वतंत्र रूप से हासिल किए गए और पूरे किए गए कार्य मूल एलएलपी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं। जब तक लिखित अनुबंध में स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख न हो, तब तक इनका प्रबंधन संबंधित भागीदार एलएलपी ही करती हैं।

अध्याय 4
विविध

प्र30. क्या शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए कोई निर्धारित व्यवस्था है?

हाँ, एमएंडएसएस निदेशालय के तहत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है जो प्रशासनिक प्रश्नों और समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा में समाधान करता है।

प्र31. क्या इन दिशानिर्देशों के तहत कोई निगमित निकाय किसी एलएलपी में भागीदार हो सकती है?

नहीं, भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 या भारत के बाहर लागू कानूनों के तहत कंपनी के रूप में शामिल किसी कॉर्पोरेट निकाय को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 25 के अनुसार, मूल एलएलपी का भागीदार बनने की अनुमति नहीं है, जिसमें कहा गया है कि,

'कंपनी लेखाकर्म में शामिल नहीं होंगी-

(1) कोई भी कंपनी, चाहे वह भारत में निगमित हो या कहीं और, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस नहीं करेगी।

[स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि "कंपनी" में कोई भी सीमित दायित्व भागीदारी शामिल होगी जिसमें इस खंड के प्रयोजनों के लिए कंपनी भागीदार के रूप में हो]

(2) यदि कोई कंपनी उप-धारा (i) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कंपनी के खिलाफ की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई को प्रभावित किए बिना उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव और कोई भी अन्य अधिकारी जो

जानबूझकर ऐसे उल्लंघन में शामिल है, पर, जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना पहली बार दोषी पाए जाने पर एक हज़ार रुपये तक का हो सकता है और बाद में दोषी पाए जाने पर जुर्माने की राशि पांच हज़ार रुपये तक हो सकती है।'

प्र32. ये दिशानिर्देश एलएलपी के बीच होने वाले विवादों को किस प्रकार सुलझाती है?

दिए गए दिशानिर्देशों के नियम 7 के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड का गठन मूल एलएलपी द्वारा किया जाएगा। इस बोर्ड को अपनी शक्तियाँ और अधिकार सभी भागीदारों की सहमति से बने लिखित विलेख में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मिलेंगे। यह बोर्ड मूल एलएलपी, भागीदार एलएलपी और एलएलपी में शामिल व्यक्तियों के बीच के मामलों की समीक्षा करने और विवाद सुलझाने की प्रक्रिया तैयार करेगा। साथ ही उचित समय-सीमा में आपसी सहमति से समाधान तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। यदि विवाद अनसुलझे रहते हैं तो मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाएगी या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मामलों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

प्र33. संवैधानिक परिवर्तनों की वजह से पैदा होने वाले मामलों में एलएलपी की वरिष्ठता निर्धारित करने का आधार क्या होगा?

अगर संवैधानिक परिवर्तनों की वजह से कोई समस्या आती है तो एलएलपी की वरिष्ठता दस्तावेज़ में दर्ज उनकी स्थापना की तिथि के आधार पर तय की जाएगी।

जहाँ तक एलएलपी द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति और संख्या से मिले अनुभव के आधार पर वरिष्ठता का सवाल है, तो पैनलबद्धता एवं निविदा प्रक्रियाओं के दौरान यह संबंधित विनियामकों के नियमों के अनुसार तय होगी।

प्र34. क्या एलएलपी को विदेशी मौकों का लाभ उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पैनलबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी?

हाँ, एलएलपी को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पैनलबद्ध होने की अनुमति होगी, बशर्ते वे घरेलू नियमों और अंतरराष्ट्रीय मनकों, दोनों का पालन करें। इससे उन्हें विदेश में नए मौकों को तलाशने एवं उनका लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

प्र35. मूल और भागीदार एलएलपी के टर्नओवर की गणना कैसे की जाएगी?

मूल और भागीदार एलएलपी के टर्नओवर की गणना उनकी पेशेवर सेवाओं से होने वाली कुल कमाई के आधार पर की जाएगी। इसमें ग्राहक से मिलने वाली फीस और उनके वित्तीय विवरण में बताई गई दूसरी आय शामिल होगी। यह गणना समय-समय पर निर्धारित किए गए लेखांकन मानकों और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए।

प्र36. प्रत्येक भागीदार एलएलपी का उत्तरदायित्व क्या होगा?

प्रत्येक भागीदार एलएलपी लिखित विलेख और दिशानिर्देशों में बताई गई अपनी ज़िम्मेदारियों एवं दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा। इस दायित्व में उनके अलग- अलग कार्यकाज और योगदान से जुड़े वित्तीय, कानूनी और संचालन पहलू शामिल हैं।

आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र37. जब कार्य को भागीदार फर्मों के बीच बांटा जा रहा हो, तो लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करेगा?

लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर मूल एलएलपी की ओर से लेखापरीक्षा में सामिल संबंधित भागीदार के हस्ताक्षर होने चाहिए। मूल और भागीदार एलएलपी के बीच कार्य और कार्यों का स्पष्ट बंटवारा

होना चाहिए। कार्यों में प्रत्येक एलएलपी के योगदान का दस्तावेज़ीकरण एवं प्रमाणन किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक एलएलपी द्वारा किए गए कार्यों के दायरे के अनुसार ज़िम्मेदारी उचित तरीके से तय की गई है। हस्ताक्षर करने की ज़िम्मेदारी का स्पष्ट उल्लेख, नियामक और पेशेवर मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए, अनुबंध पत्र और आंतरिक समझौतों में किया जाना चाहिए।

प्र38. क्या 2021 की दिशानिर्देश के अनुसार, वर्तमान नेटवर्क को आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार एलएलपी में बदला जा सकता है?

इन दिशानिर्देशों के तहत लाभ उठाने के लिए, उन्हें एक एलएलपी बनाना होगा, क्योंकि ये दिशानिर्देश विशेष रूप से एलएलपी संरचना पर लागू होती हैं।